HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL LAW

UNIT –II

- **UNITED NATIONS AND HUMAN RIGHTS.**
- **UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT (1948) - INDIVIDUAL AND GROUP RIGHTS,**
- **COVENANT ON POLITICAL AND CIVIL RIGHT 1966.**
- **COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL CULTURAL RIGHTS**
- **EUROPEAN COVENANT ON HUMAN RIGHT**
- **AMERICAN COVENANT ON HUMAN RIGHT**
- **AFRICAN COVENANT ON HUMAN RIGHT.**

मानव अधिकारों की सार्वभौम द्योषणा – 1948

उद्देशिका

मानव परिवार के सभी सदस्यों की अन्तनिर्हित गरिमा और समान तथा अमेद्य अधिकार विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शान्ति के आधार है,

मानव अधिकारों की उपेक्षा और अवमान के परिणाम स्वारूप ऐसे बर्बर कार्य हुए है जिन्होनें मानव की अन्तरात्मा पर आघात किया है, और ऐसे विश्व के निर्माण को , जिसमें सभी मानव वाक स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता का तथा भय और अभाव से मुक्ति का उपयोग करेंगे जिसे जनसामान्य की उच्चतम आकांक्षा द्योषित किया गया है, यदि मनुष्य को अत्याचार और उत्पीड़न के विरूद्ध अन्तिम अस्त्र के रूप में विद्रोह का अवलम्ब लेने के लिए विवश नही किया जाता है तो यह आवश्यक है कि मानव अधिकारों का संरक्षण विधि सम्मत शासन द्वारा किया जाना चाहिये:

यह कि राष्ट्रो के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विकास की वृद्धि करना आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने चार्टर में मूल मानव अधिकारों में मानव देह की गरिमा और महत्व तथा पुरूषों और स्त्रियों के समाजिक प्रगति करने तथा अधिकाधिक स्वतंत्रता के साथ उत्कृष्ट जीवन स्तर की प्राप्ति का निर्णय किया है,

सदस्य राज्यों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौम सम्मान जाग्त करेगें और उनका पालन कराऍगें, इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति एक ही दृष्टि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह सफल बनाने के लिए अत्यधिक महत्तवपूर्ण है।

इसलिए महासभा मानव अधिकारों की इस सार्वभौम – घोषणा को सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक सामान्य मानक के रूप

में उद्घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा को निरन्तर ध्यान में रखते हुए, शिक्षा और संस्कार द्वारा इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान जागृत करेगा और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रमामी उपायों के द्वारा , सदस्य राज्यों के लोगों के बीच इन अधिकारों की विश्वव्यापी और प्रभावी मान्यता और उनके पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगा।

अनुच्छेद 01.

सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान है। उन्हे बुद्धि और अन्तश्चेतना प्रदान की गई है। उन्हे परस्पर भ्रातृत्व की भावना से कार्य करना चाहिए।

अनुच्छेद 2.

प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उपवर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है– इसमें मूलवंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म , राजनीतिक या अन्य विचार , राष्ट्रीय या सामाजिक उदभव, सम्पत्ति, जन्म या अन्य प्रास्थिति के आधार पर कोई विभेद नही किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, किसी देश या राज्यक्षेत्र की चाहे वह स्वाधीन हो, न्यास के अधीन हो, अस्वशासी हो या प्रभुता पर किसी मर्यादा के अधीन हो राजनीतिक, अधिकारिता– विषयक या अन्तर्राष्ट्रीय प्रास्थिति के आधार पर उस देश या राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति से कोई विभेद नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 3.

प्रत्येक व्यक्ति को प्राण, स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 4.

किसी भी व्यक्ति को दास या गुलाम नही रखा जाएगा; सभी प्रकार की दासता और दास – व्यापार प्रषिद्ध होगा।

अनुच्छेद 5.

किसी भी व्यक्ति को यन्त्रणा नही दी जाएगी या उसके साथ क्रूर , अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नही किया जाएगा या उसे ऐसा दंड नही दिया जाएगा।

अनुच्छेद 6.

प्रत्येक व्यक्ति को सर्वत्र विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है।

अनुच्छेद 7.

सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है और किसी विभेद के बिना विधि के समान संरक्षण के हकदार है। सभी व्यक्ति इस धोषणा के अतिक्रमण में विभेद के विरूद्ध और ऐसे विभेद के उद्दीपन के विरूद्ध समान संरक्षण के हकदार है।

अनुच्छेद 8.

प्रत्येक व्यक्ति को सविधान या विधि द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरूद्ध सक्षम राष्ट्रीय अधिकरणो द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार है।

अनुच्छेद 09.

किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफतार , निरूद्ध या निर्वासित नही किया जाएगा।

अनुच्छेद 10 –

प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और बाध्यताओं के और उसके विरूद्ध आपराधिक आरोप के अवधारण में पूर्णतया समान रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकरण द्वारा ऋजु और सार्वजनिक सुनवाई का हकदार है।

अनुच्छेद 11–

1. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दांडिक अपराध का आरोप है, यह अधिकार है कि उसे तक तक निपराध माना जाएगा जब तक कि उसे लोक विचारण में, जिसमें उसे अपनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक सभी गारंटियॉ प्राप्त हों विधि के अनुसार दोषी साबित नही कर दिया जाता।

2. किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य या लोभ के कारण , जो किए जाने के समय राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन दांडिक अपराध नही था, किसी दांडिक अपराध का दोषी अभिनिर्धारित नही किया जाएगा। उस शास्ति से अधिक शास्ति अधिरोपित नही की जाएगी जो उस समय लागू थी जब अपराध किया गया था।

अनुच्छेद 12.

किसी भी व्यक्ति को एकान्तता, कुटुम्ब, घर या पत्र–व्यवहार के साथ मनमाना हस्तक्षेप नही किया जाएगा और उसके सम्मान और ख्याति पर प्रहार नही किया जाएगा और उसके सम्मान और ख्याति पर प्रहार नही किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे हस्तक्षेप या प्रहार के विरूद्ध विधि के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 13.

1. प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर संचरण और निवास की स्वतंत्रता की अधिकार है।

2. प्रत्येक व्यक्ति को, अपने देश को या किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश में वापस आने का अधिकार है।

अनु0 14 –

01. प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न के कारण अन्य देशों में शरण मांगने और लेने का अधिकार है।
02. इस अधिकार का अवलम्बन अराजनैतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र् के प्रयोजनों ओर सिद्धान्तों के प्रतिकूल कार्यो से वास्तविक रू‍प से उद्‌भूत अभियोजन की दशा में नही लिया जा सकेगां

अनु0 15 –

1. प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रिकता का अधिकार है।
2. किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से न तो उसकी राष्ट्रिकता से और न राष्ट्रिकता परिवर्तित करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

अनु0 16–

1. वयस्क पुरूषों और स्त्रियों को मूलवंश, राष्ट्रिकता या धर्म के कारण किसी भी सीमा के बिना, विवाह करने और कुटुम्ब स्थापित करने का अधिकार है। वे विवाह के विषय में, विवाहित जीवनकाल में और उसके विघटन पर समान अधिकारों के हकदार है।
2. विवाह के इच्छुक पक्षकारों की स्वतंत्र और पूर्ण सम्मति से ही विवाह किया जाएगा।
3. कुटुम्ब समाज के नैसर्गिक और प्राथमिक सामाजिक इकाई है और इसे समाज और राज्य द्वारा संरक्षण का हकदार है।

अनु0 17 –

1. प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सम्पत्ति का स्वामी बनने का अधिकार है।
2. किसी को भी उसकी सम्पत्ति से मनमाने ढंग से वंचित नही किया जाएगा।

अनु0 18 –

प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अन्तःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार के अर्न्तगत अपने धर्म या विश्वास को परिवर्तित करने की स्वतंत्रता और अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलाकर तथा सार्वजनिक रूप से या अकेले शिक्षा, व्यवहार , पूजा और पालन में अपने धर्म या विश्वास को प्रकठ करने की स्वतंत्रता भी है।

अनु0 19–

प्रत्येक व्यक्ति को अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार के अर्न्तगत हस्तक्षेप के बिना अभिमत रखने और किसी भी संचार माध्यम से और सीमाओं का विचार किए बिना जानकारी मॉगने, प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता भी है।

अनु0 20–

1. प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्वक सम्मेलन और संगम की स्वतंत्रता का अधिकार है।
2. किसी भी व्यक्ति को किसी संगम में सम्मिलित होने के लिए विवश नही किया जाएगा।

अनु0 21–

01. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार मे, सीधे या स्वतंत्रतापूर्वक चुने गए प्रतिविधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है।
02. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की लोक सेवाओं में समान पहुच का अधिकार है।
03. लोकतंत्र सरकार के प्राधिका का आधार होगा;
इसकी अभिव्यक्ति आवधिक और वास्तविक निर्वाचनों में होगी, जो सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा या समतुल्य स्वतंत्रत मतदान की प्रक्रिया द्वारा किए जाऐगे।

अनु0 22–

प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के सदस्य के रूप में, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और यह राष्ट्रीय प्रयास और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से और प्रत्येक राज्य के गठन और संसाधनों के अनुसार , ऐसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है जो उसकी गरिमा और उसके व्यक्तित्व के उन्मुक्त विकास के लिए अनिवार्य है।

अनु0 23–

1. प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का, नियोजन के स्वतंत्र चयन का, कार्य की न्यायोचित और अनुकूल दशाओं को और बेरोजगारी के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को, किसी विभेद के बिना, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है।
3. प्रत्येक व्यक्ति को, जो कार्य करता है, ऐसे न्यायोवित और अनुकूल पारिश्रमिक का अधिकार है। जिससें स्वयं उसका और उसके कुटुम्ब का मानव गरिमा के अनुरूप जीवन सुनिश्चित हो जाए और यदि आवश्यक

हो तो, सामाजिक संरक्षण के अन्य साधनों द्वारा उसे अनुपूरित किया जाए।

4. प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितो के संरक्षण के लिए व्यवसाय संघ बनाने और उनमें सम्मिलित होने का अधिकार है।

अनु0 24–

प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है जिसके अर्न्तगत कार्य के धंटो की युक्तियुक्त सीमा और वेतन सहित आवधिक छुट्टियॉ भी है।

अनु0 25–

1. प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो स्वयं उसके और उसके कुटुम्ब के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रर्याप्त है, जिसके अन्तर्गत भोजन , वस्त्र, मकान और चिकित्सा तथा आवश्यक सामाजिक सेवाएँ भी है और बेरोजगारी रूग्णता, अशक्तता , वैधव्य, वृद्धावस्था या उसके नियंत्रण के बाहर परिस्थितियों में जीवन–यापन के आभाव की दशा में सुधार का अधिकार है।

2. मातृत्व और बाल्यकाल विशष देखभाल और सहायता के हकदार है। सभी बच्चे, चाहे उनका जन्म विवहित जीवनकाल में हुआ हो या अन्यथा, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त करेंगे।

अनु0 26–

1. प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। कम से कम प्राथमिक और मौलिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क होगी। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी । तकनीकी और वृतिक शिक्षा साधारणतः उपलब्ध कराई जाएगी और उच्चशिक्षा सभी व्यक्तियों को गुणागुण के आधार पर समान रूप से प्राप्त होगी।

2. शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर की वृद्धि होगा। यह सभी राष्ट्रो, मूलवंश विषयक या धार्मिक समूहों के बीच समादर, सहिष्णुता और मैत्री की अनुवृद्वि के लिए उदिृष्ट होगी और शान्ति बनाये रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यकलापों को अग्रसार करेगी।

3. माता–पिता को यह चयन करने का पूर्णाधिकार है कि उनकी संतान को किस प्रकार शिक्षा दी जाएगी।

अनु0 27–

1. प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में मुक्त रूप से भाग लेने, कलाओं का आनन्द लेने और वैज्ञानिक प्रगति और उसके फायदों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है।

2. प्रत्येक व्यक्ति को स्वनिर्मित वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति के परिणामस्वरूप होने वाले नैतिक और भौतिक हितो के संरक्षण का अधिकार है।

अनु0 28–

प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अर्न्तराष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्ण रूप सें प्राप्त किया जा सकता है।

अनु0 29–

1. प्रत्येक व्यक्ति के उस समुदाय के प्रति कर्तव्य है, जिसमें उसके व्यक्तित्व का उन्मुक्त और पूर्ण विकास संभव है।

2. प्रत्येक व्यक्ति पर अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोग में वही मर्यादाए लगाई जाएँगी जो अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सम्यक मान्यता और सम्मान सुनिश्चित करने और प्रजातंत्रात्मक समाज में नैतिकता, लोक व्यवस्था के प्रयोजन के लिए विधि द्वारा अवधारित की गई है।
3. किसी भी दशा में इन अधिकारों, स्वतंत्रताओं का संयुक्त राष्ट्र् के प्रयोजनो और सिद्धान्तों के प्रतिकूल प्रयोग नही किया जाएगा।

अनु0 30–

इस घोषणा की किसी बात का यह निर्वचन नही किया जाएगा कि उसमें किसी राज्य , समूह या व्यक्ति के लिए कोई ऐसा कार्यकलाप या कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार विवक्षित है जिसका लक्ष्य इसमे उपवर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का विनाश करना है।

.....

(UDHR 1948)

क्र0 सं0	अधिकार	सार्वभौमिक द्योषणा	भारतीय संविधान
1	विधि के समक्ष समानता का अधिकार	अनु0 7	अनु0 14
2	भेदभाव का प्रतिषोध	अनु0 7	अनु0 15(1)
3	अवसर की समानता	अनु0 21(2)	अनु0 16(1)
4	विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	अनु0 19	अनु0 19(1)(क)
5	शान्तिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता	अनु0 20(1)	अनु0 19(1)(ख)
6	संगठन अथवा संघ निर्माण का अधिकार	अनु0 23(4)	अनु0 19(1)(ग)
7	सीमा के भीतर संचरण का अधिकार	अनु0 13(1)	अनु0 19(घ)
8	अपराध को दोषसिद्धि के सम्ब0 में संरक्षण	अनु0 11(2)	अनु0 20(1)
9	प्राण एंव व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण	अनु0 3	अनु0 21
10	दासता एंव बलात श्रम से संरक्षण	अनु0 4	अनु0 23
11	अन्तःकरण एंव धर्म की स्वतंत्रता	अनु0 18	अनु0 25(1)
12	अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उपचार	अनु0 8	अनु0 32

सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा

(INTERNATIONAL COVENANT ONCEVIL AND POLITICAL RIGHT –ICCPR 1966)

महासभा संकल्प 2200 ए(XXI) 16 दिसम्बर 1966 को 106 मतो द्वारा अंगीकार की गयी थी। महासभा ने तीसरी समिति की सिफारिश पर यह प्रसंविदा 23 मार्च 1976 को लागू हुआ। सिविल और राजनैतिक अधिकारों प्रसंविदा में 53 अनुच्छेद है और 6 भागो मे विभाजित किया गया है। भाग 1, 2,और 3 में विभिन्न अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है जबकि अन्य तीन भाग इन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया को वर्णित करते है।

अनु0 1 व्यक्तियों के आत्म– निर्णय के अधिकार को वर्णित करता है। इस अनु0 में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रतापूर्वक अपनी राजनैतिक स्थिति को निर्धारित करने का और उनके आर्थिक सामाजिक और सांस् कृतिक विकास को स्वतंत्र रूप से जारी रखने का अधिकार है

अनु0 1 यह भी अधिकथित करता है कि किसी भी मामले में व्यक्ति अपनी जीविका के साधन से वंचित नही किया जा सकेगा और राज्य पक्षकार आत्मनिर्णय के अधिकार मे अभिवृद्वि करेगे और उस अधिकार का सम्मान करेगें।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के प्रसंविदा में भी अनु0 1 में उक्त प्रावधानों की वर्णित किया गया है।

प्रसंविदा के भाग 11 में राज्य पक्षकारों के अधिकारों और कर्त्तव्यों के सम्बंध में प्रावधान किया गया है इसी भाग में यह भी प्रावधानित है कि राज्य अपनी राष्ट्रीय विधि मे प्रसविदा के प्रावधानों का समावेश करने के लिये आवश्यक कदम उठायेगे तथा ऐसे विद्यायी या अन्य उपायो को करेंगे जिससे प्रसविदा मे वर्णित अधिकारों को प्रभावी बनाया जा सके। राज्य पक्षकार सभी सिविल और राजनैतिक अधिकारों को पुरूषों और महिलाओं को समान रूप से उपलब्ध करायेंगे।

सारभूत अधिकार

व्यक्तियों के अधिकारों और राज्य पक्षकारों के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में प्रावधान भाग 3 में किया गया है। प्रंसविदा में व्यक्तियों के निम्नलिखित सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रावधानित किये गये है–

1. प्राण का अधिकार (अनु0 6)
2. अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता (अनु0 7)
3. दासता, अधिसेविता और बलातश्रम से स्वतंत्रता (अनु0 8)
4. स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार (अनु0 9)
5. निरूद्ध का मानवता से व्यवहार किये जाने का अधिकार (अनु0 10)
6. संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए असमर्थता के कारण कारावास से स्वतंत्रता (अनु0 11)
7. संचलन और अपने निवास चुनने की स्वतंत्रता (अनु0 12)
8. अन्यदेशीय को मनमानेपूर्ण से निष्कासन से स्वतंत्रता (अनु0 13)
9. निष्पक्ष विचारण का अधिकार (अनु0 14)
10. दण्ड विधि के भूतलक्षी रूप से लागू न होने से स्वतंत्रता (अनु0 15)
11. विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप से मान्यता का अधिकार (अनु0 16)
12. एकान्तता परिवार घर या पत्र व्यवहार का अधिकार (अनु0 17)
13. विचार , अन्तःकरण और धर्म की स्वतंत्रता (अनु0 18)
14. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनु0 19)
15. युद्ध के प्रचार का प्रतिषोध (अनु0 20)
16. शान्ति पूर्ण सम्मेलन का अधिकार (अनु0 21)
17. संगम की स्वतंत्रता (अनु0 22)
18. विवाह करने और कुटुम्ब स्थापित करने का अधिकार (अनु0 24)
19. शिशु के अधिकार (अनु0 24)
20. लोक मामलों मे भाग लेने , मत देने और चुने जाने का अधिकार (अनु0 25)
21. विधि के समक्ष समता (अनु0 26)
22. अल्पसंख्यकों का अधिकार(अनु0 27)

प्रसंविदा में वर्णित उक्त अधिकार सर्वागीण नही है। इसमें कतिपय सीमाओं को भी वर्णित किया गया है। भिन्न –2 अधिकारों के सम्बंध में भिन्न– भिन्न परिसीमाओं का वर्णन किया गया है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि व्यापक रूप से प्रसंविदा के अधिकारों को किन्ही निर्बन्धनों के अधीन नही होना चाहिये सिवाय उनके जो विधि द्वारा प्रावधातित हो, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य और नैतिकता या अन्य अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए आवश्यक हो।

1. <u>प्राण का अधिकार</u> प्रत्येक मानव को प्राण का अन्तनिहित अधिकार है। इस अधिकार की विधि द्वारा रक्षा की जायगी। किसी को मनमाने ढंग से इसके अधिकार से वंचित नही किया जाएगा।

   प्राण का अधिकार मानव के सभी अधिकारों में से सबसे महत्तवपूर्ण अधिकार है। मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा होती है जीने की कोई व मौत नही मरना चाहता। मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा होती है, मृत्यु और चोट से अपना बचाव करने की बन्धुआ मुक्ति मोर्चा ब भारत संघ **A.I.R. 1984 SC 802,** के वाद में कहा कि प्राण के अधिकार को शोषण से मुक्त मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार माना जाना चाहिये।

   भारत के सविधान का अनु0 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के परिरक्षण की बात करता है कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नही।

2. **<u>स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार अनु0 4,9,</u>**

   प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार होगा। किसी को मनमाने ढंग से बन्दी नही बनाया जायेगा और न तो विरोध किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही स्वतंत्रता से वंचित किया जायेगा।

   पद स्वतंत्रता से तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। सभी स्वतंत्रताये नागरिक स्वतंत्रताये होती है स्वतंत्रता श्रेष्ठ सभ्यता की संतान है, यह एक विधिक और परिस्कृत विचार है। जिसे एक असम्भव कमी समझता है और न कभी समझ सकता है।

   ए0के0 गोपालन के वाद में न्यायालय ने कहा कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार केवल शारीरिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नही है यह एक विस्तृत अर्थवाली

पदावृत्वी है जिसमें वे तमाम प्रकार के अधिकार सम्मिलित है जो किसी के व्यक्तित्व के विकास को पूर्ण बनाते है।

3. दासता और बलात श्रम से मुक्ति अनु0 8

किसी को भी दासता में नही रखा जाएगा, दासता और दास व्यापार सभी रूपों प्रतिषिद्व होगा। किसी भी व्यक्ति को दास नही रखा जायेगा। किसी भी व्यक्ति को बलात श्रम करने की आवश्यकता नही होगी।

दासता एक ऐसी प्रथा है जिसके अर्न्तगत एक व्यक्ति को सम्पत्ति या वस्तु की तरह रखा जाता है। यद्यपि एक दास मनुष्य होता है परन्तु प्रकृतिक वह विधि सक्षम नही होता मनुष्य होते हुये भी दूसरे की सम्पत्ति का एक भाग होता है, सम्पत्ति जिसे इसके स्वामी से अलग किया जा सकता है। दास अपनी इच्छा शक्ति और प्रतिरोध की शक्ति खो देता है।

दासता के समापन की कार्यवाही सम्मवतः सर्वप्रथम गैर सरकारी स्तर पर प्रारम्भ हुई जब एन्टी सोसाइटी (दासता के विरूद्ध समिति) की स्थापना सन् 1783 में क्वैकर्स के एक समूह द्वारा दी गई । इस समिति ने थामस क्लक्सिन के सहयोग से दास व्यापार समापन समिति की स्थापना की 1787 में इग्लैण्ड और फ्रांस में दास व्यापार का समापन से सम्बन्धित समिति की स्थापना की गई। दास व्यापार को समाप्त करने सतत आन्दोलन के परिणाम स्वारूप ब्रितानी संसद मे 1807 में एक अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश दास व्यापार को अन्तिम रूप से निषिद्व कर दिया। परन्तु ब्रिटिश उपनिवेश में दास व्यापार जारी रहा जिसे भी 31 जुलाई 1834 से समाप्त कर दिया गया दास व्यापार को डेनमार्क में 1802 में फ्रांस में 1814 में समाप्त किया गया। 1890 में विभिन्न आन्दोलनों की परिणिति जनरल एक्ट आफ ब्रूसेल्स में हुई, जब इसे बहुयायी रूप मिला इस सधि के माध्यम से सोलह राज्यों ने जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सहित युरोप की बड़ी शक्तियॉ भी सम्मिलित भी इस बात पर सहमत हुये कि वे अफ्री की दास प्रथा को समाप्त करेगें 1815 का वियना अभिसमय भी दास व्यापार को मानवता और नैतिकता के सिद्धान्तों के विपरीत द्योषित करने तक ही सीमित रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास व्यापार अब्राहम लिंकन ने समाप्त किया जो 1865 से प्रभावी हुआ ।

राष्ट्र् संध के प्रमुख उपलब्धियो में दासता सम्बंधी अधिनियम 1926 का अंगीकार किया जाना इस अभिसमय को 07 दिसम्बर 1953 के प्रोटोकाल द्वारा संशोधित किया गया।

बलात श्रम दासता के कई रूप है, यथा कृषि दासता संविदा कास्तकारी अवधि के कर्तव्य सफेद दासता संविदा और बलात श्रम । अतः यह स्पष्ट है कि बलातश्रम दासता के विभिन्न रूपों में से एक है।

बलात श्रम से तात्पर्य –

सभी कार्य या सेवा जो एक व्यक्ति से बलपूर्वक किसी शास्ति के माध्यम से ली जाती है और जिसके लिये कथित व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपने को प्रस्तुत नही किया है। बलात श्रम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापन के समय से ही अन्तर्राष्ट्रीय लगाव का विषय रहा है। श्रम की स्वतंत्रता की सकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विभिन्न मानको को स्थापित करने का प्रभत्त किया है। इस पृष्ठभूमि मे इसने बलात और बाध्यकारी श्रम से सम्बन्धित अभिसमय 1930 अंगीकार किया और इसके माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बलात श्रम को समाप्त करने का प्रतिबान्धित लक्ष्य बनाया।

बलात श्रम के समापन से सम्बन्धित अभिसमय 1957 , दासता अभिसमय 1926 दासता के समापन से सम्बन्धित पूरक अभिसमय 1956 तथा बलातश्रम अधिसमय 1930 भी विचारणीय है, भारत के संविधान का अनु0 23 भी मानव दुर्व्यापार और वेगार तथा उसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया जाने वाला श्रम प्रतिषिद्ध करता है।

वेगार से तात्पर्य अस्वैच्छिक और बिना भुगतान के कार्य है। दूसरे शब्दों मे वेगार से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसे किसी व्यक्ति से जबरदस्ती बिना कोई पारिश्रमिक दिये लिया जाता है।

4. **यन्त्रणा और अमानवीय व्यवहार से युक्ति –**

किसी भी **व्यक्ति कोयन्त्रणा नही दी जायगी या उसके साथ क्रूर, अमानवीय ना अपमानजनक व्यवहार नही किया जायगा उसे ऐसा दण्ड नही दिया जाएगा। विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोग के अधीन नही किया जाएगा।**

किसी व्यक्ति को दंडित करने या उसकी इच्छा के विरूद्ध काम करने के लिये मजबूर करने हेतु कठोर शारीरिक पीड़ा पहुचाना , यन्त्रणा कहलाता है।
यन्त्रणा की प्रक्रिया मे तमाम अभिकरण शामिल है जैसे पुलिस सैनिक, डाक्टर वैज्ञानिक सिविल सेवक और राजनेता आदि। यन्त्रणा के लिये वे विभिन्न तरीको का प्रयोग करते है।

तीसरी श्रेणी उपाय शारीरिक प्रहार, या चतुर्थ श्रेणी उपाय मनोवैज्ञानिक उपाय जैसे इन्द्रिय निष्ठ विभिन्न तरीके जो यन्त्रणा के लिये अपनाये जाते है उनमे सम्मिलित है– कारागार स्थित की असुविधाये (थोड़ी जगह में अधिक लोगों को रखना, अपर्याप्त शौच सुविधायें) पाशविकता (रूखा व्यवहार), प्रहार (मारना, लातो से मारना) सामाजिक वंचना (परिवार से अलग रखना) (सांस्कृतिक अशिष्टता) अन्याय (वैध अधिकारों का अतिलंघन) और नदी से वंचित करना आदि।

यन्त्रणा को मानवाधिकार की सार्वभौम द्योषणा में भी प्रतिबन्धित किया गया है। यन्त्रणा से मुक्ति के लिये सबसे बड़ी उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यन्त्रणा एंव अन्य क्रूर , अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ स्तर पर 1949 में प्रारम्भ हुई। 1949 में न्यासधारिता परिषद ने कतिपय क्षेत्रों में शारीरिक दण्ड दिये जाने को समाप्त करने के लिये संस्तुति की।

5. **गैर भैदभाव का अधिकार अनु0 2 (1)**

वर्तमान प्रसंविदा के राज्य पक्षकार यह वचन देते है कि वे अपने राज्य क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के लिये इस प्रसंविदा मे उपवर्णित सभी अधिकारों का सम्मान करेगें और उन्हे सुनिश्चित करेगें इसमे मूलवंश वर्ण लिंग भाषा धर्म या अन्य विचार राष्ट्रीय या सामाजिक उदभव सम्पत्ति जन्म या अन्य प्रास्थिति के आधार पर कोई विभेद नही किया जाएगा।

रंग पर आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रंगभेद के अपराध के उन्मूलन और दण्ड के लिये अभिसमय 1973 अंगीकार किया।

मूलवंश पर आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिये 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सभी रूपों में मूलवंशीय भेदभाव के उन्मूलन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय 1963 अंगीकार किया।

महिलाओं के प्रति बरजे जा रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिये 1979 मे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने महिलाओ के विरूद्ध सभी रूपों में भेदभाव को समाप्त करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय 1979 अंगीकार किया।

6. संचरण और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति को, जो एक राज्य क्षेत्र के भीतर विधि सम्मत तरीके से है, उस राज्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्वतंत्र संचरण और आवास की चयन की स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी देश को जिसमें उसका अपना देश भी सम्मिलित है, छोड़ने की स्वतंत्रता होगी। दूसरे शब्दों मे प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर निवास और संचरण की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश या अन्य किसी देश को छोड़ने की स्वतंत्रता होगी।

01. देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मे स्वतंत्र संचरण अर्थात् कही भी, कभी और किसी भी प्रकार संचरण की स्वतंत्रता।

02. देश से बाहर जाने की स्वतंत्रतां

03. अपने देश मे आने की स्वतंत्रता और

04. देश से निर्वासित न किये जाने का अधिकार।

7. राष्ट्रीयता का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को मनमानें ढ़ंग से न तो उसकी राष्ट्रीयता से न राष्ट्रीयता परिवर्तित करने के अधिकार से वंचित किया जायेगा।

राष्ट्रीयता आज के विश्व में एक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई तमाम पहचानों में से एक अतिमहत्वपूर्ण पहचान है।

नाटेबाम के मामले मे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय नें दिया था। उसके अनुसार राष्ट्रीयता एक विधिक बन्धन है जो इस तथ्य की न्यायिक अभिव्यक्ति स्थापित करता है कि एक व्यक्ति राष्ट्रीयता प्रदान करने वाले राज्य की जनसंख्या से अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, किसी अन्य राज्य की अपेक्षा है।

राष्ट्रीक्ता विधियों में विरोध पर हेग अभिसमय 1930 विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीकता पर अभिसमय 1957, विराष्ट्रीकता को कम करने पर अभिसमय 1961 विराष्ट्रीकता व्यक्तियों की प्रस्थित से सम्बंधित अभिसमय 1954

शरणार्थियों की प्रास्थिति से सम्बंधित अभिसमय 1951 और बहुराष्ट्रीकता को कम करने से सम्बंधित यूरोपीय अभिसमय 1963 आदि है।

8. **मनमाने निष्कासन से अन्यदेशीय की स्वतंत्रता अनु0 13**

वर्तमान प्रसंविदा के राज्य पक्षकार के राज्य क्षेत्र में विधि सम्मत अन्य देशीय को विधि के अनुरूप लिये गये विनिश्चय के अनुसरण में की निष्कासित किया जा सकेगा।

किसी भी अन्य देशीय को जो किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के विधि सम्मत तरीके से रह रहा है मनमाने ढ़ग से निष्कासन के विरूद्ध अधिकार प्राप्त है। लेकिन ऐसा वही है जहॉ कोई राज्य नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का पक्षकार है।

9. **ऋजु विचारण का अधिकार**

ऋजु विचारण का अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम द्योषणा के अनु010 और नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अर्न्तराष्ट्रीय प्रसंविदा के अनु0 14 में अंगीभूत है।

प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और बाध्यताओं के और उसके विरूद्ध आपराधिक आरोप के अवधारणा में पूर्णतया समानरूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकरण द्वारा ऋजु और सार्वजनिक सुनवाई का हकदार है।

10. **विचार अन्तःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार**

विचार अन्तःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम द्योषणा के अनु018 और नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के अनु0 18 में अंगीभूत है, और भारत के संविधान के अनु0 25 में है। अनु0 25 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। **द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था ने धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये तीन मुख्य तरीके अपनाये थे संधि का तरीका, मानवीय हस्क्षेय, सशर्त लाभ का तरीका सशर्त लाभ तरीको का प्रादुर्भाव** 18 वी और 19 वी सदी में हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता देगा उसे कतिपय सुनिश्चित (वास्तविक) लाभ प्राप्त होगा।

11.अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी हस्तक्षेप के अभिमत धारण करने का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, इसके अर्न्तगत सीमाओं का विचार किये बिना सभी प्रकार की जानकारी मांगने प्राप्त करने और देने का अधिकार सम्मिलित है यह या हो मौखिक या लिखित हो सकता है या प्रकाशन कला के रूप में या अपने विकल्प के किसी अन्य माध्यम के रूप में हो सकता है।

12.संगम या संध की स्वतंत्रता

प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ संगम का अधिकार होगा इस अधिकार में अपने हितों की रक्षा के लिये श्रमिक संघ बनाने और उसमे सम्मिलित होने का अधिकार भी सम्मिलित है। संघो, सोसाइटीज , पार्टी व्यावसायिक (पेशेवर) सहकारिताए वैज्ञानिक, तकनीकि सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक संगठनो मे सम्मिलित होने या संयुक्त होने का अधिकार है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 मे स्थापित हुआ है। संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी से संगठित अभिसमय 1949 है।

13.आश्रय का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न के कारण अन्य देशों से शरण मांगने और लेने के अधिकार है। इस अधिकार का अवलम्ब अराजनैतिक अपराधो या संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजनों और सिद्धान्तों के प्रतिकूल कार्यो से वास्तविक रूप से उदभूत अभियोजनों की दशा में नही लिया जा सकेगा।

प्रादेशिक आश्रय पर द्योषणा 1967 अंगीकार किया।

14.समता का अधिकार

''सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है और किसी विभेद के बिना विधि के समान संरक्षण के हकदार होगा।

स्मता के अधिकार से सम्बन्धित उक्त प्रावधान में दो वाक्यांशों का प्रयोग किया गया हैं।

प्रथम '' विधि के समक्ष समता '' और दूसरा ''विधियों का समान संरक्षण'' प्रथम पद विधि के समक्ष समता इंगलिश कामन लॉ से लिया गया है,

यह सभी लोगों की समता की द्योषणा है, और इससे अन्तर्निहित है किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नही होगा प्रत्येक व्यक्ति उसकी जो भी पंक्ति (श्रेणी) या

स्थित हो सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन है। कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नही है। प्रत्येक व्यक्ति वाद संस्थित कर सकता है और उसके विरूद्ध वाद संस्थित किया जा सकता है। विधिक समानता की संकल्पना जैसा कि वह इंग्लैण्ड में प्रचलित है प्रो0 डायसी ने कहा कि हमारे यहॉ प्रत्येक अधिकारी प्रधानमंत्री से लेकर स्टेबुल तक या करों के कलेक्टर का प्रत्येक उस काम के लिये जो उसने बिना किसी विधिक न्यायों चितता के किया है वही दायित्व है, जो एक अन्य नागरिक का दूसरा पद ''विधियों का समान संरक्षण '' जो प्रथम पद का एक उपसिद्धान्त है।

अमेरिकी संविधान के 14 वें संशोधन के प्रथम धारा के अन्तिम खण्ड पर आधारित है। यह आदेशित करता है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के उनके अधिकारों और विशेषाधिकार के उपभोग के समान संरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

यह कहा गया है कि विधियों को समान संरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। यह कहा गया है कि विधियों की गारन्टी या संरक्षण का एक वचन है।

विधि के समक्ष समता का अधिकार या समान संरक्षण का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिये है, अतः नागरिक और गैर नागरिक में भेद नही किया जाना चाहिए भारत के संविधान के अनु0 14 में भी यही बात की गई है और इसमे नागरिक गैर नागरिक विधिक व्यक्ति भी आते है और समता के अधिकार का संरक्षण कम्पनी और निगमो आदि को भी जो विधिक व्यक्ति है उपलब्ध है।

15. राजनैतिक अधिकार

प्रत्येक नागरिक को बिना किसी विभेद जिनका उल्लेख अनु0 2 में किया गया है या बिना किसी युक्तियुक्त प्रतिबन्ध के अधिकार और अवसर होगा।

16. अल्पसंख्यकों के अधिकार अनु0 27

उन राज्यों में जहॉ जातिगत धार्मिक और भाषागत अल्प संख्यक रहते है, ऐसे अल्पसंख्यकों को उनके समूह के अन्य सदस्यों के साथ सामुदायिक अधिकार से अपनी सांस्कृति का आनन्द लेने के अधिकार से अपने धर्म के

मानने और आचरण करने से या अपनी भाषा के प्रयोग से वंचित नही किया जायेगा।

17. **आत्मनिर्णय का अधिकार**

ICCPR & ICESCR दोनो की भाषा एक जैसी है, अनु0 1 सभी लोगों को आत्म निर्णय का अधिकार है। उस अधिकार के परिणाम स्वारूप वे स्वतंत्र रूप से अपनी राजनैतिक प्रास्थिति का निर्धारण करेगें तथा अपने आर्थिक सामाजिक और सास्कृतिक विकास की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करेंगे।

18. **शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार**

शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार को मान्यता दी जायेगी।विधि के अनुरूप अधिरोषित प्रतिबन्धों के अतिरिक्त इस अधिकार के उपयोग पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।

आर्थिक, सामाजिक एंव सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966

यह प्रसंविदा महासभा संकल्प 2200ए (XXI) 16 दिसम्बर 1966 को 105 मतो द्वारा अंगीकार किया गया और 3 जनवरी 1976 को लागू हुई इस प्रसंविदा में कुल 31 अनुच्छेद है और पांच भागो में विभाजित है।

क. प्रस्तावना

ख. सामान्य अनु0 1 से 5 तक;

ग. सारवान अधिकार अनु0. 6 से 15 तक;

घ. प्रवर्तन के उपाय अनु0 16 से 26 तक;

ड़ अन्तिम प्रावधान अनु0 26 से 31 तक;

क– प्रस्तावना –

आर्थिक, सामाजिक एंव सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा की प्रस्तावना, सिविल एंव राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा के समान है तथा इसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। इस समानता का कारण यह है कि दोनो प्रसंविदा के सामान्य स्तोत संयुक्त राष्ट्र् चार्टर एंव मानव अधिकारों की सार्वभौमिक द्योषणा 1948 है।

ख. सामान्य अनु0 1 से 5 तक –

आर्थिक, सामाजिक एंव सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा के अनु0 1, 3 तथा 5 भी सिविल एंव राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा के अनुच्छेदों के समान है। इनमे अन्तर केवल इतना है कि सिविल एंव राजनैतिक अधिकारों की प्रसंविदा के अनु0 3 में आर्थिक सामाजिक एंव सांस्कृतिक अधिकारों के उपभोग की बात कही गयी परन्तु आर्थिक, सामाजिक एंव सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा में निम्नलिखित अनुबन्ध हैं–

1. वर्तमान प्रंसविदा का प्रत्येक राज्य पक्षकार यह संकल्प लेता है कि वह स्वंय एंव अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एंव सहयोग, द्वारा विशेषकर आर्थिक एंव तकनीकी ऐसे उपाय अधिकतम उपलब्ध साधनों की सीमा तक करेगा, जिससे वर्तमान प्रसंविदा में स्वीकृत अधिकारों की उत्तरोतर प्राप्ति हो सके। इन उपायों मे विशिष्ट रूप से विधायनी उपाय सम्मिलित होंगे।
2. वर्तमान प्रसंविदा के राज्य पक्षकार यह गारंटी करते है कि वर्तमान प्रसंविदा में स्वीकृत अधिकारों का उपभोग जाति रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्यमत के आधार पर किसी भेदभाव के बिना किया जायेगा।
3. विकासशील देश मानव अधिकारों के प्रति उचित सम्मान तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुये यह निर्धारित कर सकते है कि वह किस सीमा तक प्रसंविदा में स्वीकृत अधिकारों को गैर राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों के प्रतिलागू करेंगे।

अनु04 के अर्न्तगत आर्थिक, सामाजिक एंव सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा के राज्य पक्षकार यह स्वीकार करते है कि राज्य द्वारा दिये गये वर्तमान प्रसंविदा से संगत अधिकारों के उपभोग में वह ऐसे अधिकारों को केवल ऐसी परिसीमाओं के अधीन कर सकते हैं जो इन अधिकारों की प्रकृति से संगतपूर्ण हो तथा प्रजातांत्रिक समाज मे केवल सामान्य कल्याण की प्रन्नोति के सिविल एंव राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा के उपबन्ध से अन्तर का स्पष्ट कारण दोनो प्रसंविदाओं के अधिकारों की प्रकृति में अन्तर है क्योंकि आर्थिक, सामाजिक एंव सांस्कृतिक अधिकार सिविल एंव राजनीतिक अधिकारों के मुकाबले में अधिक स्पष्ट होते है।

ग. सारवान आर्थिक, सामाजिक एंव सांस्कृतिक अधिकार अनु06 से 15 तक–

आर्थिक सामाजिक एंव सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 के भाग 5 में सारवान अधिकारों का उल्लेख है। यह अधिकार निम्नलिखित है–

1. स्वतंत्रता से चुना कार्य करने का अधिकार (अनु0 6)
2. अनु0 7 न्यायसंगत तथा अनुकूल कार्य दशाओ का उपभोग करने का अधिकार
3. व्यावसायिक संघ बनाने तथा अपनी पसन्द के व्यावसायिक संघ में सम्मिलित होने का अधिकार (अनु0 8)
4. अनु0 9 सामजिक सुरक्षा , जिसमे सामाजिक बीमा भी सम्मिलित है का अधिकारा अनु0 10 परिवार, मात्त्व , बच्चों एंव युवा व्यक्तियों के संरक्षण एंव सहायता सम्बंधी अधिकार तथा विवाह में स्वतंत्र सम्मति का अधिकार ।
5. अनु011 अपने तथा अपने परिवार के रहन–सहन का उपयुक्त स्तर जिसमें खाना, कपड़ा , मकान तथा रहने की दशाओं में निरन्तर सुधार भी सम्मिलित है।

6. अनु012 भौतिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्त होने वाले स्तर के उपभोग का अधिकार
7. अनु0 13 शिक्षा का अधिकार जिसमे अनिवार्य तथा शुल्कमुक्त प्राथमिक शिक्षा भी सम्मिलित है।
8. अनु0 14 सभी के लिए शुल्क मुक्त अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत और युक्तयुक्त वर्षो में
9. अ) सांस्कृतिक जीवन मे भाग लेनेः
   ब) वैज्ञानिक प्रगति तथा उपभोगो के लाभ;
   स) किसी वैज्ञानिक साहित्यिक या कला के लेखक के उत्पाद के नैतिक एंव पदार्थो के लाभों का संरक्षण के अधिकार (अनु0 15)

घ) <u>प्रवर्तन के उपाय –</u>

अनु0 16 प्रसंविदा के राज्य पक्षकारों का दायित्व है कि उन्होंने है कि उन्होंने जो उपाय किये है तथा उनमें जो प्रगति हुई है उसकी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को निर्धारित अवधि के अन्तराल में देते रहे। महासचिव तब उक्त रिर्पोट की प्रतिलिपि आर्थिक एक सामाजिक परिषद को देगी।

अनु0 19 आर्थिक एंव सामाजिक परिषद उक्त रिर्पोटों को मानव अधिकार के कमीशन के अध्ययन तथा सामान्य संस्तुतियों हेतु भेजता है।

अनु0 21 आर्थिक एंव सामाजिक परिषद समय–समय पर सामान्य प्रकृति की संस्तुतियॉ समेत रिपोर्ट तथा एक वर्तमान प्रसंविदा के राज्य पक्षकारों एंव विशिष्ट एजेन्सियों से प्राप्त सूचनाओं की रिपोर्ट तथा प्रसंविदा में स्वीकृत अधिकारों के लाभ में हुई प्रगति आदि का एक सारांश महासभा को भेज सकता हैं। इसके अतिरिक्त प्रसंविदा के राज्य पक्षकार यह स्वीकार करते है कि वर्तमान प्रसंविदा में स्वीकृत अधिकारों की प्राप्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही मे अभिसमयों को अंगीकार करना, संस्तुतियों को अंगीकार करना, तकनीकी सहायता देना परामर्श एंव अध्ययन के प्रयोजनों के लिये सम्बन्धिज सरकारों के साथ प्रादेशिक एंव

तकनीकी मीटिंग करना सम्मिलित है उपर्युक्त उपायों की समीक्षा करने से पता चलता है कि यह उपाय की प्रसंविदा में दिये गये उपायो से कितना दुर्बल है। इसका स्पष्ट कारण आर्थिक सामाजिक एंव सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्निहित प्रकृति है। इन अधिकारों का विकास अनेक बातों पर निर्भर करता है। यह कारण प्रदेश तथा देश–देश में भिन्न हो सकते है। अतः इनके प्रवर्तन के कड़े उपाय नही किये जा सकते तथा न ही इनकी प्राप्ति के लिये समयबद्ध प्रोग्राम ही बनाये जा सकते है।

ड.) **अन्तिम प्रावधान (अनु0 26 से 31 तक विधिक मामला)**

प्रसंविदा के भाग 5 के अनु0 26 से 31 तक अन्तिम प्रावधान दिये गये है। यह प्रावधान प्रसंविदा हस्ताक्षर उसके अनुसमर्थन सम्मिलन लागू होना प्रयुक्त होने संशोधन तथा पाठ की अधिकृत भाषा से सम्बंधित है।

ECHR -1950

यूरोपीय मानव अधिकार अधिसमय 1950

यूरोपीय का ग्रेस द्वारा स्थापित यूरोप परिषद के स्टेटयूट ने इस बात पर जो दिया था कि मानव अधिकारों को बनाये रखना एंव उनकी अभिवृद्वि यूरोपीय एकता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधनों मे से एक है। परिषद के अर्न्तगत की गयी वार्ता के फलस्वरूप 4 नवम्बर 1950 को मानव अधिकारों एंव मूल स्वंतत्रताओं के संरक्षण हेतु यूरोपीय अभिसमय अंगीकार किया गया।

अभिसमय पर परिषद के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया और यह 3 सितम्बर 1953 को लागू हुआ ।

यूरोपीय अभिसमय के भाग 1 के अर्न्तगत कई अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्रावधानित किया गया है;

01. अनु0 2 प्राण का अधिकार।
02. अनु0 5 व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार।
03. अनु0 3 यातना से या, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड से स्वतंत्रता ।
04. अनु0 4 परिच्छेद 1 दासता या गुलामी से स्वतंत्रता ।
05. अनु0 6 निष्पक्ष एंव लोक सुनवाई का अधिकार ।
06. अनु0 7 दाण्डिक विधि के भूतलक्षी प्रभाव से लागू न होना।
07. अनु0 8 व्यक्ति की एकान्तता एंव पारिवारिक जीवन, गृह एंव पत्राचार के लिए सम्मान का अधिकार।
08. अनु0 9 विचार, अन्तः करण एंव धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
09. अनु0 10 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
10. अनु0 11 शान्तिपूर्ण सभा की स्वतन्त्रता और अन्य व्यक्तियों के सोध संगम की स्वतंत्रता का अधिकार।

11. अनु0 12 विवाह करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार।
12. अनु0 13 अधिकारों और स्वतंत्रताओं के उल्लंघन के विरूद्ध राष्ट्रीय अभिकरण के समक्ष प्रभावी उपचार प्राप्त करने का अधिकार।
13. नयाचार 1 अनु0 1 व्यक्ति के कब्जे के शान्तिपूर्ण उपभोग का अधिकार।
14. शिक्षा का अधिकार (नयाचार 1 अनु0 2)
15. गुप्त मतदान द्वारा समय समय पर स्वतंत्र चुनाव आयोजित करना (नयाचार 1 अनु0 3)
16. मृत्युदण्ड की समाप्ति (नयाचार 6 अनु0 1)
17. राज्य से निष्कासन की स्वतंत्रता (नयाचार 1 अनु0 3)
18. उच्चतम अधिकरण द्वारा दोषसिद्ध के पुनविलोकन का अधिकार (नयाचार 7 अनु0 2)
19. सामूहिक निष्कासन से स्वतंत्रता (नयाचार 4 अनु0 4)

उपर्युक्त अधिकारों को प्रभावित करने के लिए संविदाकारी पक्षकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे यह सुनिश्चित करे कि उनकी राष्ट्रीय विधियॉ अभिसमय में उपबंधित अधिकारों का उल्लंघन इस तथ्य की दृष्टि से न करे कि अभिसमय के उल्लघन से अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व उत्पन्न होता है। इस कारणों से अनेक राज्यों ने औपचारिक रूप में अभिसमय को या अपने संविधान में सम्मिलित किया है या अपनी राष्ट्रीय विधियों में सम्मिलित किया है। उदाहरणार्थ यूनाइटेड किंगडम, 1998 में मानवधिकार अधिनियम किया है जो 2 अक्टूबर 2000 से प्रभाव में आ गया है।

कियान्वयन मशीनरी

मानव अधिकार के संरक्षण के प्रेक्षण हेतु पहले प्रवर्तन मशीनरी 1954 में स्थापित यूरोपीय मानव अधिकार आयोग और 1958 में स्थापित मानव अधिकार यूरोपीय न्यायालय और यूरोपीय परिषद के मंत्रियों की समिति से मिलकर बनी थी यह सभी यूरोपीय परिषद की संरचना के अंतर्गत 31

अक्टूबर 1998 तक कार्य किया 01 नवम्बर 1998 को लागू होने वाले नयाचार संख्या 11 के अनुसार पूर्णकालिक न्यायालय ने यूरोपीय आयोग और मानव अधिकार न्यायालय का स्थान ग्रहण कर लिया है। फिर भी दोनों ही तन्त्रों पर विवेचना की गयी है।

यूरोपीय मानव अधिकार आयोग –

अभिसमय के भाग 3 में यूरोपीय मानव अधिकार आयोग के लिए प्रावधान अभिकथित किये गये है।

आयोग में उच्च संविदाकारी पक्षकारों की संख्या के बराबर सदस्य होंगे। लेकिन आयोग में एक ही राज्य के दो राष्ट्रिक सदस्य नही होंगे। आयोग के सदस्यों का निर्वाचन परामर्शदासी सभा के ब्यूरों द्वारा निर्मित नामो की सूची में से मतो के पूर्ण बहुमत द्वारा मंत्रियों की समिति द्वारा किया जाता है। सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षो के लिए होता है। फिर भी, वे पुनः निर्वाचित किये जा सकते है आयोग के सदस्यों आयोग में अपनी व्यक्तिगत क्षमता से कार्य करते है। आयोग का मुख्य कार्य अभिसमय के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ण में यूरोपीय परिषद के महासचिव के माध्य से किसी उच्च संविदाकारी पक्षकर से परिवादों को प्राप्त करना है।

यूरोपीय आयोग के कार्य अनु0 25 –

1. आयोग किसी भी व्यक्ति, गैर–सरकारी संगठन या व्यक्तियों के समूह से भी सरकारी संगठन या व्यक्तियों के समूह से भी याचिका प्राप्त कर सकता है जो उच्च संविदाकारी पक्षकारों मे से किसी एक के द्वारा मानवअधिकारों के उल्लंघन किये जाने का दावा करते हो, अनु0 27(1) **(क)** आयोग बिना नाम के परिवादो को स्वीकार नही करता अनु0 26 यह केवल उन मामलो की जॉच करता है जहॉ सभी घरेलू उपचारों का प्रयोग कर लिये गये हो।

अनु0 27(1) आयोग किसी ऐसी याचिका का निस्तारण नही करेगा जिसका आयोग द्वारा पहले ही परीक्षण कर लिया गया हो अथवा किसी अन्य प्रकिया के लिए या अन्तर्राष्ट्रीय अन्वेषण अथवा निपटारे के लिए पहले ही प्रस्तुत कर दी गयी हो और यदि इसमें कोई सुसंगत एंव नयी सूचना शामिल न हो।

अनु0 27 (2) आयोग किसी ऐसी याचिका को अस्वीकार्य कर सकता है जिसे वह अभिसमय के प्रावधानों से असंगत समझता हो अथवा वह परिवाद को याचिका के अधिकार का दुरूप्रयोग समझाता हो।

अनु0 28 यदि आयोग किसी परिवाद को स्वीकार कर लेता है तो वह अपना कार्य दो तरिका से प्रारम्भ करता है। प्रथम, तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए आवेदन की विवेचना करना और द्वितीय मानव अधिकारों के लिए सम्मान के आधार पर मामले को मैत्रीपूर्ण निपटारे के द्वारा सुनिश्चित करना।

अनु0 29 (1) ये दोनों ही कार्य एक सात सदस्यो उप–आयोग द्वारा किये जाते थे।

अनु0 30 यदि उप–समिति अथवा वाद में आयोग मैत्रीपूर्ण निपटारे को लागू करने में सफल हो जाते । तब वह रिपोर्ट तैयार करता है। जिसमे तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और उसका समाधान शामिल रहता है।

मंत्री परिषद का निर्णय :

अनु0 32 (1) यदि मंत्री समिति को रिपोर्ट भेजने की तिथि से तीन महिने की अवधि के भीतर प्रश्न यूरोपीय मानव अधिकार व्यायालय को संदर्भित नही किया जाता तो मंत्री समिति सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत द्वारा निर्णय ले लेती है।

यदि मंत्री समीति यह विनिश्चय करती है कि अभिसमय का उल्लंघन हुआ है, तो वह समय निर्धारित करेगी जिसके अन्तराल में सम्बन्धित संविदाकारी

पक्षकार को विनिश्चय द्वारा अपेक्षित उपाय ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। यदि निर्धारित समय के भीतर सन्तोषजनक उपाय नही किये जाते तो मंत्री – समीति यह विनिश्चय करती है कि मूल निर्णय को कैसे प्रभावी बनाया जाए और इस सम्बन्ध में रिपोर्ट में रिर्पार्ट प्रकाशित कर देगी।

आयोग की समाप्ति :

01 नवम्बर 1998 को प्रवर्तित हुआ जिसमें आयोग की समाप्ति के लिए प्रविधान किया गया। परिणामस्वरूप 31 अक्टूबर 1998 से आयोग ने कार्य करना बंद कर दिया था।

31 अक्टूबर 1999 से कार्य करना अन्तिम रूप से बंद कर दिया है।

यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय :

उच्च संविदाकारी पक्षकारों के लिए यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करना ऐच्छिक था। अतः न्यायालय दिनॉक 3 सितम्बर 1958 को उस समय गठन किया गया जब इसे स्वीकृति के लिए अपेक्षित सदस्यों अर्थात 08 सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया।

अनु0 38 न्यायालय के न्यायाधीशो की संख्या यूरोपीय परिषद के सदस्यों की संख्या के ही बराबर होती है। दो न्यायाधीश एक ही राज्य के राष्ट्रिक नही हो सकते है, **अनु0 43,** उसके समक्ष लाये गये प्रत्येक मामले का विचारण न्यायालय के सात न्यायाधीशों की एक अनुपीठ द्वारा किया जाता है, न्यायालय के सब का सामान्य स्थान स्ट्रासबर्ग है किन्तु यह अन्यत्र भी बैठक कर सकता है।

अनु0 42 न्यायालय के क्षेत्राधिकार अभिसमय के निर्वाचन एंव उसके लागू करने से सम्बंधित सभी मामलों तक है।

अनु0 44 न्यायालय के समक्ष मामले के बल संविदाकारी पक्षकार राज्य एंव उच्च समीति के द्वारा ही लाया जा सकता है।

अनु0 48 केवल वही उच्च संविदा कारी पक्षकार कोई मामला दाखिल कर सकता है जिनके राष्ट्रिक के अधिकारों का उल्लंघन हुआ और जिसने

आयोग के समक्ष मामले प्रस्तुत कर दिया है। जिसको विरूद्ध परिवाद दाखिल कर दिया गया है।

अनु0 47 न्यायालय के क्षेत्राधिकार के लिए यह पूर्ण मान्यता है कि मामला पहले आयोग को सन्दर्भित कर दिया गया हो और आयोग की रिपोर्ट के मंत्री समीति को प्रेषित करने से 3 माह से अधिक समय नही बीता है।

अनु0 46(1) फिर भी मामले केवल उन्ही उच्च संविदाकारी पक्षकारों द्वारा लाये जा सकते है जिन्होंने एक द्योषणा करके न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया हो।

अनु0 46(2) पक्षकारों द्वारा ऐसी द्योषणा किसी भी समय बिना शर्त के अथवा पारस्परिकता की शर्त अथवा विशिष्ट अवधि के लिये की जा सकती है।

अनु0 52 ये द्योषणायें युरोपीय परिषद के महासचिव के पास जमा की जाती है जो उच्च संविदाकारी को इसकी प्रतिलिपि भेजा जाता है न्यायालय का निर्णय अन्तिम होता है।

अनु0 53 यह केवल मामले के पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है निर्णय को मंत्री समीति के पास भेजा जाता है जो इसका निष्पादन का पर्यवेक्षण करती है।

मानव अधिकारों पर अमेरिकी अभिसमय सन् 1948 –

नौवे सर्व–अमेरिकी सम्मेलन 1948 में मानव के अधिकारों एंव कर्त्तव्यों एंव पर अमेरिकी द्योषणा अंगीकार की गयी थी। जिसमें कर्तव्यों के साथ–साथ व्यक्ति के अधिकारों का अधिकथन किया गया था। बाद में वर्ष 1959 में विदेशी मामलों के अमेरिकी मंत्रियों के परामर्श की बैठक में (**अमेरिकी राज्यों के संगठन की संरचना के अर्न्तगत**) मानव अधिकार पर अंतर–अमेरिकी आयोग का सृजन किया गया जो तभी से अूमेरिका में मानव अधिकारों से सम्बंधि क्रिया–कलापों के प्रति महत्वपूर्ण अन्वेषणात्मक गतिविधियों के प्रति वचनबद्ध है। अतः मे नवम्बर 1969 में सेन जोस कोस्टारिका में आयोजित

अंतर–अमेरिकी विशिष्टीकृत सम्मेलन में अमेरिकी अभिसमय को अंगीकार किया गया था। इस सम्मेलन के अंतिम दिन अर्थात् 22 नवम्बर 1969 में इस पर हस्ताक्षर हुआ। यह अभिसमय 11 जुलाई 1978 को प्रवर्तित हुआ। तथाकथित, पैक्ट आफ सेन जोसे डी कोस्टारिका अभिसमय का अनुसमर्थन 2013 तक अमेरिकी राज्य संगठन के 35 सदस्यों में से 25 द्वारा दिया गया है।

अभिसमय की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि व्यक्तियों के आवश्यक अधिकार उनके किसी राज्य के राष्ट्रिक होने से नही प्राप्त होते बल्कि में मानव व्यक्तित्व की विशेषताओं पर आधारित होते है और इसीलिए ये अमेरिकी राज्यों की राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रावधानित संरक्षण को पूरा करने अथवा पुन प्रवर्तित किये जाने के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण को न्यायोचित मानते है।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारो का तुलनात्मक चार्ट –कौन किस दस्तावेज में है और कहॉ

अधिकार		मानवधिकारों की सार्वभौम द्योषणा	आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा	दस्तावेज यूरोपीय सामाजिक चार्टर	मानव और जन अधिकारों का अफ्रीकी अभिसमय	भारतीय संविधान
1		2	3	4	5	6
1	आर्थिक आत्मनिर्णय का अधिकार	–	अनु0 1	–	अनु0 21 और 22	–
2	काम का अधिकार	अनु0 23(1)	अनु0 6	अनु0 1	अनु0 15	अनु0 41
3	काम के न्यायोचित और अनुकूल वातावरण का अधिकार	अनु0 23(1)	अनु0 7	अनु0 2, 3	अनु0 15	अनु0 42
4	श्रमिक संघ बनाने का अधिकार	अनु0 23(4)	अनु0 8	अनु0 5	अनु0 10	अनु0 19 (ग)
5	सामाजिक सुरक्षा का अधिकार	अनु0 22	अनु0 9	अनु0 12	अनु0 18 (4)	अनु0 41
6	परिवार के संरक्षण और सहायता का अधिकार	अनु0 16,25(3)	अनु0 10 (1)	अनु0 16	अनु0 18	अनु0 42 कुछ सीमा तक
7	प्रर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार	अनु0 25(1)	अनु0 11 (1) 22	उद्देशिका	–	अनु0 47
8	शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार	अनु0 25(1)	अनु0 12 (1)	अनु0 11	अनु0 16	अनु0 47
9	शिक्षा का अधिकार	अनु0 26	अनु0 13	–	अनु0 17	अनु0 41, 48
10	सांस्कृतिक अधिकार	अनु0 27	अनु0 15	–	अनु0 17, 22	अनु0 29
11	सामूहिक सौदेबाजी की अधिकार	–	अनु0 8	अनु0 6	–	–
12	समान काम के लिये समान वेतन का अधिकार	अनु0 23(2)	अनु0 7 (क)(1)	अनु0 4(3)	अनु0 15	अनु0 39 (घ)
13	आराम और अवकाश का अधिकार	अनु0 24	अनु0 7 (घ)	अनु0 2(5)	–	–

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की तालिका कौन, किस दस्तावेज मे, और कहाँ

ICCPR 1966, 23 मार्च 1976 से लागू है।

अधिकार	दस्तावेज/अनु० मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा	दस्तावेज/अनु० नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा	दस्तावेज/अनु० मानव अधिकारों और मूल स्वतन्त्रताओं का यूरोपीय अभिसमय	दस्तावेज/अनु० मानव अधिकारों का अमेरिकी अभिसमय	दस्तावेज/अनु० मानव और जन अधिकारों का अफ्रीकी अभिसमय	दस्तावेज/अनु० भारतीय संविधान
1	2	3	4	5	6	7
1 समानता और गैर भेदभाव का अधिकार	अनु० 1, 2 और 7	अनु० 2(1), 3 और 26	अनु० 14	अनु० 1(1) और 24	अनु० 2 और 3	अनु० 14-18
2. प्रभावकारी न्यायिक उपचार का अधिकार	अनु० 8	अनु० 2(3)	अनु० 6 और 13	अनु० 25	अनु० 7(1)(a) और 26	अनु० 32 और अनु० 226
3. प्राण का अधिकार	अनु० 3	अनु० 6	अनु० 2	अनु० 4	अनु० 4	अनु० 21
4. यन्त्रणा से मुक्ति का अधिकार	अनु० 5	अनु० 7 और 10	अनु० 3	अनु० 5(2) से 6	अनु० 5	
5. दासता और बलात श्रम के विरुद्ध अधिकार	अनु० 4	अनु० 8	अनु० 4	अनु० 6	अनु० 5	अनु० 23
6. स्वतन्त्रता और सुरक्षा का अधिकार	अनु० 3 और 9	अनु० 9	अनु० 5	अनु० 7	अनु० 6	अनु० 19 और 21
7. संचरण का अधिकार	अनु० 13	अनु० 12	अनु० 2	अनु० 22(1) से (5)	अनु० 12(1) से (3)	अनु० 19(1)(घ)
8. ऋजु विचारण, निर्दोषिता की उपधारणा, प्रक्रियात्मक संरक्षण और दोहरे जोखिम के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार	अनु० 10 और 11(1)	अनु० 14	अनु० 5 और अनु० 6	अनु० 8	अनु० 7(1)	अनु० 20(2), 21
9. कार्योत्तर विधियों के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार	अनु० 11(2)	अनु० 15	अनु० 7	अनु० 9	अनु० 7(2)	अनु० 20(1)
10. विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप मे मान्यता का अधिकार	अनु० 6	अनु० 16	—	अनु० 3	अनु० 3	
11. सम्पति का अधिकार	अनु० 17		अनु० 1 प्रथम प्रोटोकाल	अनु० 21	अनु० 14	अनु० 300(क)
12. एकान्तता, परिवार, पत्राचार, सम्मान एवं ख्याति का अधिकार	अनु० 12	अनु० 17 और 19(3)(क)	अनु० 8 और 10(2)	अनु० 11 और 14	अनु० 18 और 27	अनु० 21
13. अभिमत अन्तःकरण एवं धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार	अनु० 18	अनु० 18	अनु० 9	अनु० 19 अनु० 12	अनु० 8	अनु० 25-28
14. विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार	अनु० 19	अनु० 19	अनु० 10	अनु० 13	अनु० 9	अनु० 19(1)(क)
15. सभा और सम्मेलन की स्वतन्त्रता का अधिकार	अनु० 20	अनु० 21	अनु० 11	अनु० 15	—	अनु० 19(1)(ख)
16. संगम की स्वतन्त्रता का अधिकार	अनु० 20	अनु० 22	अनु० 11	अनु० 16	अनु० 10	अनु० 19(1)(ग)
17 विवाह, पति एवं पत्नी की समानता एवं परिवार का अधिकार	अनु० 16	अनु० 3 और 23	अनु० 12	अनु० 17	अनु० 18	—
18 बालक का अधिकार	-	अनु० 24	—	अनु० 17(4)(5)	अनु० 18(3)	अनु० 24
19 राजनैतिक अधिकार	अनु० 21	अनु० 25	अनु० 3 प्रथम प्रोटोकाल	18, 19 और 20 अनु० 23	अनु० 13	अनु० 16(1)
20 अल्पसंख्यकों के अधिकार		अनु० 27				अनु० 29-30